**भारत सरकार**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3384**
**21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ**

**विषय: किसानों की आय**
**3384. श्री नकुल के. नाथ:**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार किसानों की आय 2015-16 में 8,059/- रुपये से बढ़ाकर 2022 तक 21,146/- रुपये प्रति माह करने के वर्ष 2016 में किए गए अपने वादे से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में किसानों की आय वास्तव में 9,740/- रुपये से घटकर 8,339/- रुपये प्रति माह हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में किसानों की आय कम होने के सटीक कारणों का पता लगाने की सिफारिश की है; और

(ङ) क्या कृषि विभाग ने वास्तव में योजनाओं के लिए उपयोग किए बिना 67,929.1 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (घ): किसानों की आय का अनुमान एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से लगाया जाता है। 2012-13 में किए गए पिछले "स्थिति आकलन सर्वेक्षण" के अनुसार, मासिक कृषि परिवार आय 6426/- रुपये आंकी गई थी, जो वर्ष 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बढ़कर 10218/- रुपये हो गई।

सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी

जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति शामिल थी।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए समुचित उपाय करती हैं। तथापि, भारत सरकार समुचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। डीएफआई समिति द्वारा सुझाई गई रणनीति के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए उच्चतर आय प्राप्त करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि**

   वर्ष 2013-14 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डेयर सहित) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए बजट आवंटन केवल 30223.88 करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2023-24 में 4.35 गुना से अधिक बढ़ाकर 1,31,612.41 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2. **पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**

   वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली एक आय सहायता योजना है। अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी की गई है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

   छह वर्ष - वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने हेतु शुरू किया गया था। क्रियान्वयन के पिछले 6 वर्षों में, 37.66 करोड़ किसान आवेदकों को नामांकित किया गया है और 12.38 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा उनके प्रीमियम के रूप में लगभग 25,174 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जिसकी तुलना में उन्हें 1,30,185 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 517 रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. **कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण**

   (i) वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

   (ii) केसीसी के माध्यम से अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4% ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्रदान किया जाता है।

(iii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करते हुए रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 30.12.2022 की स्थिति के अनुसार, इस अभियान के हिस्से के रूप में 4,51,672 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 389.33 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

**5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना -**

(i) सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

(ii) धान (सामान्य) के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(iii) गेहूं के एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

**6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना**

i देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर गठित किए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों तरफ जैविक खेती शुरू की है।

ii सरकार का भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित एवं स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है जिसमें 1,89,039 किसान शामिल हैं और 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

**7. प्रति बूंद अधिक फसल**

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम

से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, इनपुट लागत कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।

8. **सूक्ष्म सिंचाई कोष**

नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में इस कोष में धनराशि की मात्रा को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किया जाना है। इसके तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करने वाली 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

**9. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन**

I. माननीय प्रधानमंत्री जी ने **दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28** तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है।

II. दिनांक 30.11.2022 के अनुसार नई एफपीओ योजना के अन्तर्गत 4028 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।

III. दिनांक 31.12.2022 तक 1,730 एफपीओ को 65.33 करोड़ रुपये का साम्य अनुदान जारी किया जा चुका है।

IV. दिनांक 31.12.2022 तक, 583 एफपीओ को 101.78 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया।

10. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)** शुरू किया गया है ताकि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष **2020-21, 2021-22 और 2022-23** के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण हेतु लगभग 139.23 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करते हुए 114 परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

**11. कृषि यंत्रीकरण**

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5,490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान वर्ष अर्थात

2022-23 के दौरान अब तक राजसहायता पर लगभग 75,391 मशीनों के वितरण, 3,468 सीएचसी, 64 हाईटेक हब और 2281 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 585.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12. **किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना**

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

i. चक्र-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
ii. चक्र-।। (2017 से 2019) - 12.19 करोड़
iii. मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख
iv. वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13. **राष्ट्रीय कृषि विपणन (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना**

(i) 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

(ii) दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, ई-नाम पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।

(iii) दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.42 लाख करोड़ रूपए के मूल्य वाली कुल 7.07 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा व 20.88 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से व्यापार दर्ज किया गया है।

**14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम -** एनएमईओ के शुभारंभ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा। यह मिशन उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को सरल मूल्य निर्धारण सूत्र के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के व्यवहार्य मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है।

**15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)**

वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना से, इस योजना ने 22,354 से अधिक परियोजनाओं के लिए देश में 16,117 करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है और कुछ अवसंरचनाएं पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इन अवसंरचनाओं में 8,752 गोदाम, 4,188 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 2,635 कस्टम हायरिंग केंद्र, 1,217 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 859 शीतागार परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 4,257 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

**16. कृषि उपज लॉजिस्टिक में सुधार, किसान रेल की शुरूआत**

रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं।

**17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:** क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन, फसलोपरांत, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है।

**18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण**

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के ज्ञान भागीदारों और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा 1102 स्टार्टअप का अंतिम रूप से चयन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर (आर-एबीआई) को इन स्टार्टअप को वित्त पोषण के लिए अनुदान सहायता के रूप में कुल 66.83 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

**19. कृषि और संबद्ध कृषि-जिंसों के निर्यात में उपलब्धि**

देश में कृषि और संबद्ध जिंसों के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निर्यात वर्ष 2020-21 के 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है अर्थात 19.99% की वृद्धि हुई है।

इन योजनाओं के सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में एक पुस्तक जारी की है, जिसमें, असंख्य सफल किसानों में से 75,000 ऐसे किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय को दो गुना से अधिक बढ़ाया है।

(ङ): पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निम्नलिखित कारणों से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कुल 63,494.84 करोड़ रुपये निधि की राशि वापस की गई:

(i) मुख्य रूप से गोवा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश आदि में पूर्व में की गई निर्मुक्ति से राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष के कारण।

(ii) निधि जारी करने की नई प्रक्रिया के लिए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में देरी के कारण, राज्य विभिन्न अनुपालन विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और राज्य के खजाने में अव्ययित शेष भी थे। कई राज्यों के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) मैपिंग भी अधूरी थी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न चेकलिस्ट, उपक्रम आदि प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसलिए, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी नहीं की गई थीं।

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनिवार्य 10% सकल बजटीय सहायता आवंटन का उपयोग कम क्षमता, पात्रता आधारित योजना में संतृप्ति, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सकल फसल क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक भूमि जोत के कारण बाधित है।

***